



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 2

PART I—Section 2

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 20]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 7, 2005/अग्रहायण 16, 1927

No. 20]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 7, 2005/AGRAHAYANA 16, 1927

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(पोत परिवहन विभाग)

(पत्तन-स्कंध)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2005

फा. सं. ए-12023/8/2005-पी ई-I.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 के अधिनियम सं. 38) की धारा (3) की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त अधिकार प्रयुक्त करके, केन्द्रीय सरकार, श्री ए. जे. राव को 21-11-2005 से अगले आदेशों तक, (औद्योगिक महांगाई भत्ते के पैटर्न से युक्त) 25750-650-30950, रु. के वेतनमान में, अध्यक्ष, काँडला पत्तन न्यास के रूप में नियुक्त करती है।

अजय कुमार भल्ला, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF SHIPPING, ROAD
TRANSPORT AND HIGHWAYS**

(Department of Shipping)

(PORTS WING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th December, 2005

E. No. A-12023/8/2005-PE-L—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Sub-section (1) of Section (3) of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government appoints Shri A. J. Rao as Chairman, Kandla Port Trust in the pay scale of Rs. 25750-650-30950 (in Industrial pattern) w.e.f. 21-11-2005 and until further orders.

A. K. BHALLA, Jt. Secy.